



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **JULY 11, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com

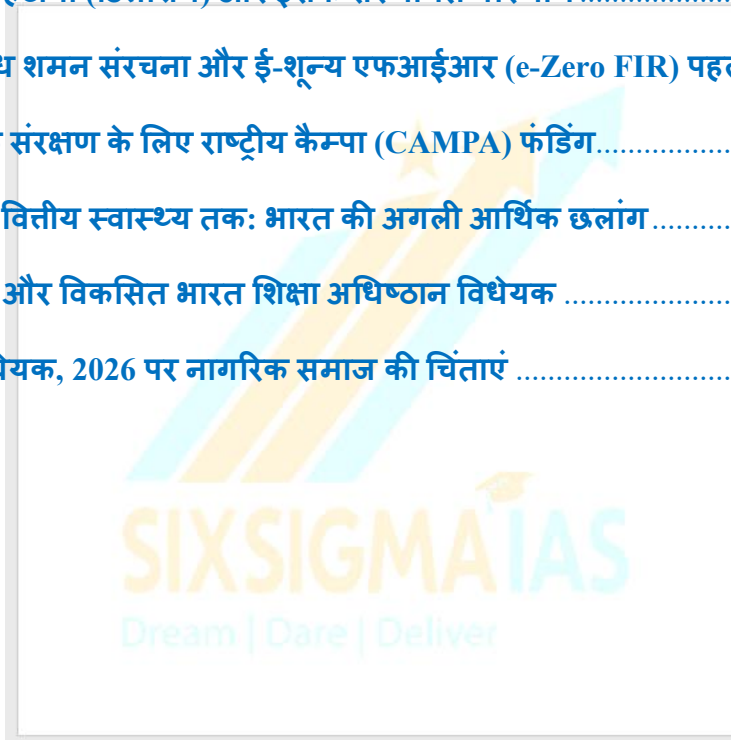


ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. पीडीएस (PDS) चावल का डायवर्जन (कालाबाजारी/विचलन) और एफसीआई (FCI) में प्रशासनिक विफलता.....	2
2. गैर-थिएटर फिल्मों के लिए अनिवार्य प्रमाणन और डिजिटल विनियमन	4
3. केरल में जनसांख्यिकीय संक्रमण और घटती जन्म दर	5
4. भारत की पहली हाइड्रोजन-संचालित पैसेंजर ट्रेन का संचालन	7
5. E20 ईंधन पर सरकार का बचाव और एथेनॉल सम्मिश्रण का अर्थशास्त्र	9
6. केन-बेतवा नदी-जोड़ो परियोजना पर आदिवासी विरोध प्रदर्शन	10
7. मतदाता सूची से नाम हटाना (डिलीशन) और इसके संस्थागत परिणाम	12
8. राष्ट्रीय साइबर अपराध शमन संरचना और ई-शून्य एफआईआर (e-Zero FIR) पहल.....	13
9. लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कैम्पा (CAMPA) फंडिंग.....	15
10. वित्तीय समावेशन से वित्तीय स्वास्थ्य तक: भारत की अगली आर्थिक छलांग	17
11. संस्थागत स्वायत्तता और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक	18
12. FCRA संशोधन विधेयक, 2026 पर नागरिक समाज की चिंताएं	20



1. पीडीएस (PDS) चावल का डायवर्जन (कालाबाजारी/विचलन) और एफसीआई (FCI) में प्रशासनिक विफलता

मुख्य बिंदु और सारांश

- **प्रशासनिक कार्रवाई:** खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने अनाज आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर भारतीय खाद्य निगम (FCI) के एक कार्यकारी निदेशक (संयुक्त सचिव रैंक) सहित पांच वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।
- **मुख्य अपराध:** ये अधिकारी निजी खरीदारों के साथ संदिग्ध मिलीभगत के लिए जांच के दायरे में हैं, ताकि मूल रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए निर्धारित चावल के स्टॉक को अवैध रूप से दूसरी तरफ (डायवर्ट) भेजा जा सके।

- **संस्थागत जांच:** एफसीआई के प्रबंध निदेशक द्वारा जारी निलंबन आदेश एक आंतरिक समिति की जांच के बाद आए हैं, जिसमें संस्थागत बिक्री में प्रणालीगत अनियमितताओं और अवैध लीकेज (रिसाव) का खुलासा हुआ है।
- **भौगोलिक संवेदनशीलता:** इस डायवर्जन में उत्तर-पूर्व को निशाना बनाया गया, जो कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और स्थानीय उत्पादन की कमी के कारण केंद्रीय अनाज आवंटन पर अत्यधिक निर्भर है। इसने इस घोटाले के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को और बढ़ा दिया है।
- **शासन पर प्रभाव:** यह मामला खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में बनी हुई संवेदनशील कमजोरियों को उजागर करता है, जो एफसीआई पदानुक्रम के भीतर कड़े निरीक्षण, बायोमेट्रिक ट्रैकिंग और प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS):** गरीबों को रियायती दरों पर खाद्य और गैर-खाद्य सामग्री वितरित करने के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली।
- **भारतीय खाद्य निगम (FCI):** खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत बनाई गई एक वैधानिक संस्था, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की रक्षा के लिए खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और परिवहन के लिए जिम्मेदार है।
- **डायवर्जन / विचलन (लीकेज):** निजी लाभ के लिए आधिकारिक सरकारी आपूर्ति श्रृंखलाओं से रियायती वस्तुओं को अवैध रूप से खुले वाणिज्यिक बाजार में भेजना।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार):** भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने "जीवन के अधिकार" के दायरे में "भोजन के अधिकार" को शामिल करने की बार-बार व्याख्या की है, जिससे राज्य प्रायोजित खाद्य सुरक्षा एक अंतर्निहित संवैधानिक जनादेश बन गई है।
- **अनुच्छेद 47 (राज्य के नीति निदेशक तत्व):** राज्य को अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने का कर्तव्य सौंपता है, जो सार्वजनिक भोजन कार्यक्रमों के पीछे के आधारभूत दर्शन के रूप में कार्य करता है।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013:** भारत की लगभग 67% आबादी को रियायती खाद्यान्न का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। यह शिकायत निवारण तंत्र को अनिवार्य बनाता है और खाद्य वितरण में गैर-अनुपालन या भ्रष्टाचार को दंडित करता है।
- **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955:** जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार को चावल और गेहूं जैसी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

निष्कर्ष

उच्च पदस्थ एफसीआई अधिकारियों का निलंबन इस बात को रेखांकित करता है कि भारत की खाद्य नौकरशाही के भीतर संरचनात्मक कमजोरियाँ हाशिए पर मौजूद आबादी के लिए लगातार खतरा बनी हुई हैं। हालांकि तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई एक निवारक के रूप में कार्य करती है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान के लिए व्यापक अंत-से-अंत (end-to-end) तकनीकी ट्रैकिंग को संस्थागत बनाने, स्वचालित वितरण प्रणालियों को अपनाने और आपूर्ति

श्रृंखला के भीतर विवेकाधीन शक्तियों को न्यूनतम करने की आवश्यकता है। पूर्ण खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने और क्षेत्रीय कल्याणकारी असमानताओं को पाटने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त पीडीएस सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **सामान्य अध्ययन II:** शासन व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के उद्देश्य, कार्यप्रणाली, सीमाएं और सुधार; लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका; वैधानिक निकाय (FCI)।
- **सामान्य अध्ययन III:** प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे; प्रौद्योगिकी मिशन; पशुपालन का अर्थशास्त्र; उत्तर-पूर्व जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा चुनौतियाँ।

2. गैर-थिएटर फिल्मों के लिए अनिवार्य प्रमाणन और डिजिटल विनियमन

मुख्य बिंदु और सारांश

- **नियामक बदलाव:** केंद्र सरकार डिजिटल और ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली सभी फिल्मों के लिए औपचारिक प्रमाणन (सर्टिफिकेशन) अनिवार्य करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों में संशोधनों पर विचार कर रही है, जिससे उन्हें सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों के समकक्ष लाया जा सके।
- **उत्प्रेरक (कारण):** इस नीतिगत कदम को गति 'सतलुज' (पूर्व नाम 'पंजाब 95') फिल्म को लेकर हुए एक राजनीतिक विवाद से मिली, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा पर आधारित एक बायोपिक है। इस फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा सुझाए गए मानक थियेट्रिकल कट्स को दरकिनार करने के बाद एक ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा अचानक हटा दिया गया था।
- **क्षेत्राधिकार का विस्तार:** वर्तमान में, ऑनलाइन सामग्री मुख्य रूप से आईटी नियम, 2021 के तहत सह-नियमन (co-regulation) और स्व-वर्गीकरण (self-classification) द्वारा शासित होती है। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा अनिवार्य प्री-स्क्रीनिंग (प्रसारण-पूर्व जांच) या औपचारिक मंजूरी तंत्र को लागू करना है।
- **राज्य की सुरक्षा चिंताएं:** सरकारी अधिकारी सीमावर्ती राज्यों में संवेदनशील सुरक्षा माहौल का हवाला देते हुए कड़े निरीक्षण को सही ठहराते हैं। उनका तर्क है कि अनियंत्रित आख्यानो (narratives) का फायदा अलगाववादी लामबंदी, सीमा पार दुष्प्रचार और शत्रुतापूर्ण सूचना अभियानों के लिए उठाया जा सकता है।
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सार्वजनिक व्यवस्था:** यह घटनाक्रम फिल्म निर्माताओं की रचनात्मक स्वतंत्रता और सार्वजनिक अव्यवस्था को रोकने के राज्य के कर्तव्य के बीच बढ़ते टकराव को उजागर करता है, जिसमें ऐतिहासिक पुनर्मूल्यांकन और वर्तमान आंतरिक सुरक्षा जोखिमों के बीच संतुलन बनाए रखना शामिल है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म:** डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाएं जो पारंपरिक प्रसारण, केबल और थियेट्रिकल वितरण नेटवर्क को दरकिनार करते हुए इंटरनेट के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं को ऑडियो, वीडियो और अन्य मीडिया सामग्री प्रदान करती हैं।

- **केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC):** सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक वैधानिक सेंसरशिप और ग्रेडिंग निकाय, जिसे सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित करने का काम सौंपा गया है।
- **सूचना अभियान (Information Operations):** विशिष्ट आख्यानो या गलत सूचनाओं का रणनीतिक प्रसार, जिसे अक्सर विदेशी या शत्रुतापूर्ण संस्थाओं का समर्थन प्राप्त होता है, जिसका उद्देश्य जनता की भावना को प्रभावित करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को बाधित करना होता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(2):** हालांकि नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) राज्य को भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के आधार पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** साइबर अपराध और ई-कॉमर्स से निपटने वाला प्राथमिक कानून। धारा 69A सरकार को राष्ट्रीय संप्रभुता, रक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में किसी भी डिजिटल जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध (ब्लॉक) करने का निर्देश जारी करने का अधिकार देती है।
- **आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021:** एक नियामक ढांचा जो ओटीटी प्लेटफॉर्मों के लिए तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र और स्व-वर्गीकरण (जैसे, U, U/A 13+, A) को अनिवार्य करता है, जिसे प्रस्तावित बदलावों के माध्यम से अनिवार्य प्रमाणन में मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

निष्कर्ष

गैर-थिएटर डिजिटल रिलीज पर अनिवार्य प्रमाणन लागू करने का प्रस्ताव हल्के स्व-नियमन (soft-touch self-regulation) से सीधे वैधानिक निरीक्षण की ओर एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है। हालांकि आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना और अशांत क्षेत्रों में ऐतिहासिक संवेदनशीलताओं के दुरुपयोग को रोकना वैध राजकीय हित हैं, फिर भी नियामक ढांचे को सूक्ष्म और संतुलित होना चाहिए। अत्यधिक नियमन से रचनात्मक अभिव्यक्ति के दबने और डिजिटल अर्थव्यवस्था के कमजोर होने का जोखिम रहता है। भविष्य के संशोधनों को राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा करते हुए मनमानी सेंसरशिप को रोकने के लिए प्रतिबंधों की सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **सामान्य अध्ययन II:** विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; नियामक निकाय (CBFC, MeitY); भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधान के तहत इसके उचित प्रतिबंध।
- **सामान्य अध्ययन III:** आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ; इंटरनेट सुरक्षा में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका; संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियाँ; सीमावर्ती राज्यों में असममित सूचना युद्ध (asymmetric information warfare)।

3. केरल में जनसांख्यिकीय संक्रमण और घटती जन्म दर

मुख्य बिंदु और सारांश

- **ऐतिहासिक गिरावट:** केरल की सकल जन्म दर (Crude Birth Rate - CBR) पहली बार एकल अंक (single digit) में आ गई है, जो 2023 में 11.06 से घटकर 2024 में 9.64 के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गई है। यह भारत के राष्ट्रीय औसत 18.3 से काफी कम है।
- **तेजी से गिरावट:** राज्य ने हाल के इतिहास में लगातार अपनी सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट दर्ज की है, जिसमें 2022-23 के दौरान 1.47 और 2023-24 के दौरान 1.42 की कमी आई है, जो एक त्वरित जनसांख्यिकीय बदलाव का संकेत देती है।
- **पूर्ण गिरावट:** केरल में कुल पंजीकृत जीवित जन्मों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई, जो 2023 में 393,231 से घटकर 2024 में 344,766 हो गई।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** जिला स्तर पर एक स्पष्ट विभाजन सामने आया है; अलाप्पुझा में सबसे कम सीबीआर 5.28 दर्ज की गई, इसके बाद कोल्लम में 6.63 रही, जबकि एर्नाकुलम, इडुक्की और पतनमथिट्टा जैसे मध्य जिलों में यह 7.69 और 9.30 के बीच है।
- **स्थिर होती मृत्यु दर:** महामारी के कारण आए उछाल (2021 में 9.66) के बाद सकल मृत्यु दर (Crude Death Rate - CDR) 2024 में 8.77 पर स्थिर हो गई है, जो जन्म और मृत्यु दर के बीच एक संकीर्ण अंतर को दर्शाती है। यह आसन्न जनसंख्या स्थिरीकरण या संकुचन (घटने) की ओर इशारा करती है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **सकल जन्म दर (CBR):** किसी दी गई जनसंख्या में प्रति 1,000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या।
- **सकल मृत्यु दर (CDR):** किसी दी गई जनसंख्या में प्रति 1,000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की वार्षिक संख्या।
- **जनसांख्यिकीय संक्रमण (Demographic Transition):** एक दीर्घकालिक ऐतिहासिक प्रवृत्ति जहां किसी देश के आर्थिक विकास के साथ जनसंख्या उच्च जन्म और मृत्यु दर से कम जन्म और मृत्यु दर की ओर स्थानांतरित होती है।
- **प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्षमता (Replacement Level Fertility):** वह कुल प्रजनन दर जिस पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनसंख्या खुद को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर लेती है, जिसे सार्वभौमिक रूप से प्रति महिला लगभग 2.1 जन्म पर निर्धारित किया गया है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 47 (राज्य के नीति निदेशक तत्व):** राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण और जीवन स्तर में सुधार करने का आदेश देता है, जिसने ऐतिहासिक रूप से केरल के सफल सामाजिक विकास और स्वास्थ्य संकेतकों को प्रेरित किया।
- **सातवीं अनुसूची (प्रविष्टि 20, समवर्ती सूची):** इसके तहत "आर्थिक और सामाजिक योजना" शामिल है, जिसके अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को वर्गीकृत किया गया है, जो केंद्र-राज्य के संयुक्त विधायी हस्तक्षेप की अनुमति देता है।
- **पंद्रहवें वित्त आयोग की दुविधा:** क्षैतिज कर हस्तांतरण (horizontal tax devolution) के फॉर्मूलों ने ऐतिहासिक रूप से सफल जनसंख्या नियंत्रण के लिए केरल जैसे राज्यों को दंडित किया (कम कर हिस्सा दिया), हालांकि हाल की शर्तों ने राजकोषीय नुकसान की भरपाई के लिए जनसांख्यिकीय प्रदर्शन संकेतकों को शामिल किया है।

निष्कर्ष

केरल का एकल-अंकीय जन्म दर में प्रवेश करना भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्नत सामाजिक-आर्थिक संकेतकों, उच्च महिला साक्षरता और मजबूत स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को प्रतिबिंबित करने के साथ-साथ, यह संरचनात्मक चुनौतियां भी लाता है। गिरती जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर का संयोजन तेजी से बढ़ती वृद्ध आबादी, संभावित श्रम कमी और बढ़ते निर्भरता अनुपात (dependency ratio) का संकेत देता है। नीति निर्माताओं को अपना ध्यान जनसंख्या नियंत्रण से हटाकर वृद्ध समाज के लिए तैयार कल्याणकारी ढाँचों, सतत प्रवासन रणनीतियों और 'सिल्वर इकॉनमी' (वृद्धों पर केंद्रित अर्थव्यवस्था) के एकीकरण पर केंद्रित करना चाहिए।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **सामान्य अध्ययन I:** जनसंख्या और संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, और जनसांख्यिकीय लाभांश की गतिशीलता।
- **सामान्य अध्ययन II:** स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे; जनसंख्या नियंत्रण के संघीय राजकोषीय प्रभाव।

4. भारत की पहली हाइड्रोजन-संचालित पैसंजर ट्रेन का संचालन

मुख्य बिंदु और सारांश

- **ऐतिहासिक शुरुआत:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन-संचालित यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं, जिससे भारत 'हाइड्रेल' (hydrail) तकनीक का उपयोग करने वाले दुनिया के चुनिंदा देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो जाएगा।
- **पायलट कॉरिडोर (प्रायोगिक मार्ग):** यह ट्रेन उत्तर रेलवे के तहत 89 किलोमीटर लंबे गैर-विद्युतीकृत (non-electrified) जींद-सोनीपत खंड पर दैनिक रूप से चलेगी, जो डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स (DEMUs) के विकल्प के रूप में एक शून्य-उत्सर्जन (zero-emission) समाधान बनेगी।
- **तकनीकी मानदंड:** इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF), चेन्नई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित यह 10-कोच वाली ब्रॉड-गेज ट्रेनसेट 2,400 किलोवाट हाइड्रोजन ईंधन सेल (fuel cell) प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करती है। यह 75 किमी/घंटे की व्यावसायिक गति और 2,600 यात्रियों की क्षमता का समर्थन करती है।
- **ईंधन बुनियादी ढांचा:** जींद में एक विशेष हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन को चालू किया गया है, जो पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) से सुरक्षा मंजूरी के तहत दैनिक उत्पादन और भंडारण करने में सक्षम है।
- **डीकार्बोनाइजेशन प्रभाव:** यह प्रणोदन प्रणाली एक पर्यावरण-अनुकूल रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से बिजली का उत्पादन करके जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन शून्य होता है और इसके उप-उत्पाद (byproduct) के रूप में केवल जल वाष्प (water vapor) निकलता है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **हाइड्रोजन ईंधन सेल (HFC):** एक विद्युत-रासायनिक सेल (electrochemical cell) जो एक स्थानीय रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से ईंधन (हाइड्रोजन) और एक ऑक्सीकरण एजेंट (ऑक्सीजन) की रासायनिक ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करता है।
- **हाइड्रेल (Hydrail):** यह एक सामान्य शब्द है जो रेल वाहनों के उन सभी रूपों (लोकोमोटिव, रेलकार और रैपिड ट्रांजिट वाहनों सहित) का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने प्राथमिक या माध्यमिक शक्ति स्रोत के रूप में हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग करते हैं।
- **ब्रॉड गेज (Broad Gauge):** एक रेलवे ट्रैक गेज जहां दो समानांतर पटरियों के बीच की दूरी मानक गेज (1.435 मीटर) से अधिक चौड़ी होती है; भारत में, ब्रॉड गेज की माप बिल्कुल 1.676 मीटर है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 48A (राज्य के नीति निर्देशक तत्व):** राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है, जो हरित परिवहन की ओर बढ़ने के पीछे का संवैधानिक दर्शन प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 51A(g) (मौलिक कर्तव्य):** प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने का आदेश देता है, जो स्वच्छ ऊर्जा पहलों को अपनाने के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी स्थापित करता है।
- **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन:** एक व्यापक केंद्रीय नीति ढांचा जिसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है, जो 2047 तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता और 2070 तक नेट-शून्य (net-zero) उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है।
- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986:** वायु प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षरण को कम करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य प्राधिकरणों के कार्यों का समन्वय करने और संरचनात्मक नियम बनाने का अधिकार देता है।

निष्कर्ष

भारत की पहली हाइड्रोजन यात्री ट्रेन का संचालन परिवहन क्षेत्र में कार्बन तटस्थता (carbon neutrality) प्राप्त करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। गैर-विद्युतीकृत मार्गों को लक्षित करके, यह पहल पर्यावरणीय पदचिह्न (environmental footprint) को बढ़ाए बिना ग्रामीण और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में संरचनात्मक कमियों को दूर करती है। दीर्घकालिक व्यावहारिकता को अधिकतम करने के लिए, भविष्य के चरणों में ईंधन सेल स्टैक के घरेलू निर्माण को बढ़ाना, हरित हाइड्रोजन उत्पादन लागत को कम करना और घरेलू वितरण नेटवर्क में उच्च दबाव वाले स्वच्छ ईंधन भंडारण को नियंत्रित करने वाले नियामक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **सामान्य अध्ययन II:** महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; वैधानिक और नियामक निकाय (PESO, रेल मंत्रालय)।
- **सामान्य अध्ययन III:** बुनियादी ढांचा: रेलवे; विज्ञान और प्रौद्योगिकी-दैनिक जीवन में विकास और उनके अनुप्रयोग; संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण (नेट-शून्य लक्ष्य, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन)।

5. E20 ईंधन पर सरकार का बचाव और एथेनॉल सम्मिश्रण का अर्थशास्त्र

मुख्य बिंदु और सारांश

- **आधिकारिक स्वीकारोक्ति:** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक आधिकारिक FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) दस्तावेज़ जारी कर स्पष्ट किया कि E20-मिश्रित पेट्रोल के उपयोग से कुछ आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों के ईंधन माइलेज में 3% से 5% की कमी आ सकती है।
- **मूल्य निर्धारण का तर्क:** खुदरा मूल्य निर्धारण को लेकर जनता के विरोध और आलोचना का जवाब देते हुए सरकार ने समझाया कि कच्चे माल (feedstock) के किसानों के लिए गारंटीकृत लाभकारी मूल्य निर्धारण के कारण उत्पादन लागत उच्च बनी हुई है, इसलिए E20 वर्तमान में शुद्ध पेट्रोल से सस्ता नहीं है।
- **उत्पादन का अर्थशास्त्र:** जब वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग \$70 प्रति बैरल तक गिर जाती हैं, तो E20 सम्मिश्रण की वित्तीय व्यावहारिकता पर संरचनात्मक दबाव पड़ता है, जिससे आयातित जीवाश्म ईंधन की तुलना में घरेलू एथेनॉल संश्लेषण अपेक्षाकृत अधिक महंगा हो जाता है।
- **प्रदर्शन संतुलन:** माइलेज में आई गिरावट को संतुलित करने के लिए, मंत्रालय ने रेखांकित किया कि E20 विशिष्ट तकनीकी लाभ प्रदान करता है, जिसमें काफी उच्च ऑक्टेन रेटिंग, बेहतर एंटी-नॉक विशेषताएं, तेज़ दहन, बेहतर पिकअप और सुचारू त्वरण (smooth acceleration) शामिल हैं।
- **डीकार्बोनाइजेशन के लाभ:** पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, E20 ईंधन को अपनाना पारंपरिक अमिश्रित जीवाश्म ईंधन की तुलना में लाइफसाइकिल कार्बन उत्सर्जन को लगभग 40% तक काफी कम कर देता है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **E20 ईंधन:** मात्रा (वॉल्यूम) के हिसाब से 20% एथेनॉल (एथिल अल्कोहल) और 80% पारंपरिक पेट्रोल से बना एक विशेष ईंधन मिश्रण, जिसका उपयोग पेट्रोलियम आयात और वाहनों के निकास उत्सर्जन (exhaust emissions) को कम करने के लिए किया जाता है।
- **ऑक्टेन रेटिंग (Octane Rating):** किसी आंतरिक दहन इंजन में बिना प्री-इग्निशन (समय से पहले जलने) या हानिकारक इंजन नॉकिंग (खटखटाहट) के संपीड़न (compression) को सहन करने की ईंधन की क्षमता का एक मानक माप।
- **लाइफसाइकिल कार्बन उत्सर्जन (Lifecycle Carbon Emissions):** किसी उत्पाद के अस्तित्व के हर चरण में उत्सर्जित होने वाली ग्रीनहाउस गैसों की कुल संचयी मात्रा, जिसमें कृषि कच्चे माल की खेती, औद्योगिक प्रसंस्करण, वितरण और अंतिम टेलपाइप दहन शामिल है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 48A (राज्य के नीति निर्देशक तत्व):** राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है, जो कम उत्सर्जन वाले वैकल्पिक जैव ईंधन की ओर बढ़ने के लिए संवैधानिक आधार के रूप में कार्य करता है।
- **जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018:** मुख्य नीति ढांचा जिसने गन्ना, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न और मक्का जैसे कृषि अधिशेष का उपयोग करके 2025-26 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा था।

- **उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951:** वह नियामक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है जिसके तहत केंद्र सरकार औद्योगिक और पीने योग्य अल्कोहल के उत्पादन, भंडारण और सीमा पार रसद (logistics) को नियंत्रित करती है।

निष्कर्ष

E20 ईंधन पर सरकार का बचाव भारत के हरित परिवर्तन में निहित संरचनात्मक समझौतों (trade-offs) को उजागर करता है। यद्यपि वाहनों के माइलेज में मामूली गिरावट और उच्च उत्पादन लागत उपभोक्ताओं के सामने तत्काल चुनौतियां पेश करती हैं, लेकिन इसके दीर्घकालिक रणनीतिक लाभ—जैसे कृषि मूल्य समर्थन, कम आयात निर्भरता और लाइफसाइकिल कार्बन में 40% की कमी—इन घर्षण बिंदुओं से कहीं अधिक भारी हैं। सतत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो अनिवार्य सम्मिश्रण के साथ-साथ वाहन निर्माताओं द्वारा लक्षित इंजन अनुकूलन और घरेलू खाद्य सुरक्षा को बाधित होने से बचाने के लिए एक विविध, गैर-खाद्य फसल आधारित रणनीति को जोड़े।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **सामान्य अध्ययन II:** प्रमुख बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्रों में विकास के उद्देश्य से सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; कृषि मूल्य शासन तंत्र।
- **सामान्य अध्ययन III:** संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण; कृषि में प्रौद्योगिकी मिशन; संसाधनों का जुटाना; औद्योगिक नीति में बदलाव और ऊर्जा सुरक्षा पर उनका प्रभाव।

6. केन-बेतवा नदी-जोड़ो परियोजना पर आदिवासी विरोध प्रदर्शन

मुख्य बिंदु और सारांश

- **आंदोलन का पुनरुत्थान:** मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बरना नदी के तट पर आदिवासी ग्रामीणों, विशेषकर स्थानीय महिलाओं ने अनसुलझे पुनर्वास मुद्दों को लेकर अपने प्रतीकात्मक "फांसी सत्याग्रह" और "जल सत्याग्रह" को तेज कर दिया है।
- **मूल कारण:** स्थानीय कृषि यूनियनों के तहत समन्वित यह आंदोलन जबरन विस्थापन, अनैच्छिक बेदखली और अधूरे प्रशासनिक वादों के संबंध में हाशिए पर मौजूद समुदायों के बीच गहरे डर को दर्शाता है।
- **बढ़ती शिकायतें:** छतरपुर और पन्ना जिलों के प्रदर्शनकारियों ने भूमि अधिग्रहण में व्यापक वित्तीय अनियमितताओं, वैधानिक नोटिस जारी न करने और प्री-सेटलमेंट (पुनर्वास-पूर्व) अनुदान जारी किए बिना स्थानीय बस्तियों को मनमाने ढंग से तोड़े जाने का आरोप लगाया है।
- **वित्तीय संशोधन हस्तक्षेप:** इस लंबे गतिरोध के जवाब में, राज्य कैबिनेट ने ₹300 करोड़ के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी, जिससे अत्यधिक प्रभावित मझगांव और रनझ सिंचाई घटकों के लिए मानक पारिवारिक पुनर्वास पैकेज ₹5 लाख से बढ़कर ₹12.5 लाख हो गया।
- **सामाजिक-पारिस्थितिक प्रतिक्रिया:** संरचनात्मक विस्थापन के अलावा, पर्यावरणविद् स्थानीय आदिवासी परिषदों के साथ मिलकर इस मुख्य परियोजना की स्थानीय पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले अपरिवर्तनीय प्रभाव

के लिए आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि बांध नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा सीधे पन्ना टाइगर रिजर्व के संवेदनशील निवास स्थान के अंतर्गत आता है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **नदी-जोड़ो परियोजना (River-Linking Project):** एक प्रमुख सिविल इंजीनियरिंग बुनियादी ढांचा नेटवर्क जिसे कृत्रिम संपर्क नहरों (link canals) के माध्यम से एक "अधिशेष" (surplus) नदी बेसिन से "कमी वाले" (deficit) नदी बेसिन में अतिरिक्त सतही जल को मोड़कर जल संसाधन की कमी को प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **सत्याग्रह:** महात्मा गांधी द्वारा विकसित अहिंसक, संरचनात्मक प्रतिरोध का एक दर्शन और अभ्यास, जिसे यहाँ सरकारी तंत्र पर दबाव बनाने के लिए प्रतीकात्मक चिताओं और जल-विसर्जन उपवासों के माध्यम से तैनात किया गया है।
- **पुनर्वास और व्यवस्थापन (R&R):** एक अनिवार्य कानूनी नीतिगत ढांचा जिसे उन समुदायों की रक्षा करने, मुआवजा देने और उन्हें व्यवस्थित रूप से स्थानांतरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनकी भूमि या आजीविका सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 21 (आजीविका का अधिकार):** सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह माना है कि जीवन के अधिकार में आजीविका और सम्मानजनक पुनर्वास का अधिकार शामिल है, जिससे मनमाना विस्थापन एक संवैधानिक उल्लंघन बन जाता है।
- **पांचवीं अनुसूची (आदिवासी शासन):** अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी समुदायों के लिए विशेष संवैधानिक संरक्षण प्रदान करती है, जो आदिवासी भूमि के अलगाव को रोकने के लिए संस्थागत निकायों के माध्यम से सक्रिय परामर्श को अनिवार्य बनाती है।
- **RFCTLARR अधिनियम, 2013:** भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, किसी भी सरकारी अधिग्रहण से पहले वैधानिक सामाजिक प्रभाव आकलन, न्यूनतम पुनर्वास पात्रता और स्थानीय ग्राम परिषदों से सूचित सहमति को अनिवार्य बनाता है।
- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** संरक्षित क्षेत्रों के भीतर बुनियादी ढांचे के विकास को नियंत्रित करता है, जिसके तहत राष्ट्रीय उद्यानों और बाघ अभयारण्यों की सीमाओं को बदलने वाली परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) से अनिवार्य वैधानिक मंजूरी की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

केन-बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ बढ़ता आदिवासी प्रतिरोध मैक्रो-स्तरीय उपयोगितावादी विकास और स्थानीय सामाजिक-पारिस्थितिक न्याय के बीच क्लासिक टकराव को उजागर करता है। यद्यपि सूखा प्रवण बुंदेलखंड क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करना एक महत्वपूर्ण विकासात्मक लक्ष्य बना हुआ है, लेकिन इसे संवेदनशील आदिवासी आबादी को उनके अधिकारों से वंचित करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सच्चे सतत विकास के लिए एक पारदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो वैधानिक पुनर्वास प्रावधानों का सम्मान करे, पन्ना पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर पर्यावरणीय नुकसान को न्यूनतम करने को प्राथमिकता दे, और यह गारंटी दे कि स्थानीय समुदायों को राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के विस्तार के पीड़ितों के रूप में नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष हितधारकों (stakeholders) के रूप में एकीकृत किया जाए।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **सामान्य अध्ययन I:** सामाजिक अधिकारिता; संवेदनशील वर्गों पर वैश्वीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के प्रभाव; विकासात्मक मुद्दे और आदिवासी विस्थापन।
- **सामान्य अध्ययन II:** केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थान और निकाय।
- **सामान्य अध्ययन III:** संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण; पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA); बुनियादी ढांचा: जलमार्ग और बांध; विकासात्मक हताशा से उत्पन्न आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ।

7. मतदाता सूची से नाम हटाना (डिलीशन) और इसके संस्थागत परिणाम

मुख्य बिंदु और सारांश

- **घटते सुरक्षा उपाय:** भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के ऐतिहासिक आश्वासनों के बावजूद कि मतदाता सूचियों का उद्देश्य केवल मतदान तक सीमित है, मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का असर अब व्यापक नागरिक और सरकारी अधिकारों को प्रतिबंधित करने के रूप में सामने आ रहा है।
- **पासपोर्ट का उदाहरण:** कुछ हाई-प्रोफाइल मामले, जैसे कि एक पूर्व संपादक के पासपोर्ट नवीनीकरण (रिन्यूअल) को एक 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटा दिए जाने के कारण रोक दिया गया था, यह उजागर करते हैं कि नागरिकता के मानदंडों पर सवाल उठाने के लिए प्रशासनिक डेटाबेस को आपस में जोड़ा जा रहा है।
- **कल्याणकारी हस्तक्षेप:** बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कार्यकारी घोषणाएं संकेत देती हैं कि जिन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की सब्सिडी और बैंकिंग संचालन सहित महत्वपूर्ण सामाजिक लाभों से बाहर किए जाने के खतरे का सामना करना पड़ रहा है।
- **असम का सादृश्य:** असम में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी यह दर्शाती है कि नामों को हटाने का उपयोग लक्षित जनसांख्यिकीय अपवर्जन (targeted demographic exclusion) और ट्रैकिंग के लिए एक राजकीय उपकरण के रूप में करने का इरादा बढ़ रहा है।
- **प्रणालीगत मतदाता उदासीनता:** सामान्य रूप से मताधिकार से वंचित होने के बजाय संस्थागत पहचान के इस प्रणालीगत नुकसान की ओर बढ़ना एक गंभीर विफलता को उजागर करता है, जो नागरिक के वोट देने के अधिकार को राज्य के बुनियादी ढांचे के भीतर रहने के उसके मूल अधिकार से अलग करने वाली संवैधानिक सीमा को तोड़ता है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **मतदाता सूची (Electoral Roll):** किसी विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र के भीतर उन सभी नागरिकों की एक आधिकारिक और व्यापक सूची जो पंजीकृत हैं और सार्वजनिक चुनावों में अपना वोट डालने के लिए कानूनी रूप से पात्र हैं।
- **विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR):** मतदाता सूची से दोहरे या मृत प्रविष्टियों को अपडेट करने, सुधारने और हटाने के लिए चुनाव अधिकारियों द्वारा आयोजित एक सख्त, डेटा-आधारित घर-घर सत्यापन प्रक्रिया।

- **नागरिक अधिकार (Civic Entitlements):** राज्य द्वारा अपने मान्यता प्राप्त नागरिकों को गारंटीकृत कल्याणकारी प्रावधानों, कानूनी दस्तावेजों और सामाजिक-आर्थिक सेवाओं का मूलभूत समूह।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 326 (वयस्क मताधिकार):** प्रत्येक वयस्क नागरिक को एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का संवैधानिक अधिकार स्थापित करता है, जो केवल संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत अयोग्यताओं के अधीन है।
- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951:** मतदाता सूची तैयार करने, समावेशन के मानदंडों और मनमाने ढंग से नाम हटाए जाने के खिलाफ औपचारिक शिकायत निवारण तंत्र को नियंत्रित करने वाला ठोस वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 21 (गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार):** सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह माना है कि बुनियादी राज्य-प्रायोजित कल्याण तक पहुंच जीवन के अधिकार का एक अंतर्निहित हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि डेटाबेस की त्रुटियों का उपयोग मनमाने ढंग से भोजन या स्वास्थ्य सुरक्षा से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
- **नागरिकता अधिनियम, 1955:** भारतीय नागरिकता निर्धारित करने के लिए निश्चित वैधानिक मार्ग निर्धारित करता है, जिससे यह स्थापित होता है कि स्थानीय चुनावी तंत्र के पास राष्ट्रीयता की स्थिति निर्धारित करने का कोई कानूनी क्षेत्राधिकार नहीं है।

निष्कर्ष

मतदाता सूची का एक समावेशी लोकतांत्रिक रजिस्टर से एक बहिष्करण (exclusion) के उपकरण में बदल जाना भारतीय लोकतंत्र के लिए एक संरचनात्मक खतरा पैदा करता है। जब प्रशासनिक लिपिकीय त्रुटियां या जानबूझकर की गई सूचियों की छंटनी सीधे पासपोर्ट, बैंकिंग और खाद्य सुरक्षा तक पहुंच को प्रभावित करती है, तो नागरिक और गणतंत्र के बीच का मुख्य संबंध टूट जाता है। इस प्रवृत्ति को उलटने के लिए मतदाता डेटाबेस और कल्याणकारी रजिस्ट्रियों के बीच सख्त कानूनी अलगाव को मजबूत करने, पुनरीक्षण अभ्यासों में राजनीतिक हस्तक्षेप को खत्म करने और संस्थागत विलोपन के खिलाफ नागरिकों की रक्षा के लिए मजबूत, स्वचालित न्यायिक उपचार विकसित करने की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **सामान्य अध्ययन II:** कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय (भारत निर्वाचन आयोग); कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं; शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू।

8. राष्ट्रीय साइबर अपराध शमन संरचना और ई-शून्य एफआईआर (e-Zero FIR) पहल

मुख्य बिंदु और सारांश

- **संस्थागत ब्रीफिंग:** गृह मंत्रालय (MHA) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक व्यापक साइबर-धोखाधड़ी रोकथाम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें रेखांकित किया गया कि संरचनात्मक हस्तक्षेपों ने संभावित नुकसान में ₹25,000 करोड़ से अधिक की सफलतापूर्वक बचत की है।
- **वित्तीय सुधार (रिकवरी):** अगस्त 2019 और मई 2026 के बीच, भारत में ₹64,447 करोड़ के कुल नुकसान के साथ 98 लाख साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से ₹10,718 करोड़ को 'लीन' (lien/लेनदेन पर रोक) के रूप में फ्रीज किया गया और ₹323 करोड़ सीधे पीड़ितों को वापस कर दिए गए।
- **ई-शून्य एफआईआर (e-Zero FIR) प्रतिमान:** सरकार ने एक डिजिटल पहल शुरू की है जहां राष्ट्रीय हेल्पलाइन (1930) या रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से दर्ज की गई वित्तीय साइबर-धोखाधड़ी की शिकायतों को स्वचालित रूप से ई-शून्य एफआईआर में बदल दिया जाता है, यदि रिपोर्ट किया गया नुकसान ₹10,000 से अधिक है।
- **डिजिटल प्रवर्तन उपाय:** सख्त मध्यवर्ती निरीक्षण का प्रदर्शन करते हुए, नियामक अधिकारियों ने पिछले पांच वर्षों में भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक सामग्री होने के कारण लगभग 2.75 लाख यूआरएल (URLs), 233 दुर्भावनापूर्ण मोबाइल एप्लिकेशन और 3,691 धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया।
- **भौगोलिक विस्तार:** वर्तमान में दिल्ली, हरियाणा, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और असम में सक्रिय, ई-शून्य एफआईआर ढांचे का रोलआउट 19 और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक एकीकृत सुरक्षा तंत्र बनाने के लिए चल रहा है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **ई-शून्य एफआईआर (e-Zero FIR):** एक डिजिटल रूप से पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसे किसी भी पुलिस स्टेशन या ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जा सकता है, चाहे साइबर अपराध किस भी क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में किया गया हो, जिसे बाद में जांच के लिए उपयुक्त स्टेशन पर स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- **म्यूल अकाउंट (Mule Account):** एक वैध बैंकिंग खाता जिसे साइबर-धोखाधड़ी करने वालों द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन को ठिकाने लगाने (मनी लॉन्ड्रिंग) के लिए हेरफेर, किराए पर या सह-विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे आपराधिक नेटवर्क की वास्तविक पहचान छिपी रहती है।
- **लीन अकाउंट (Lien Account):** एक कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था जहां कानून प्रवर्तन एजेंसियों से स्वचालित ट्रिगर प्राप्त होने पर बैंक एक डेबिट खाते के भीतर संदिग्ध धन को प्रतिबंधित या फ्रीज कर देता है, जिससे धन की आगे की निकासी रुक जाती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **सातवीं अनुसूची (प्रविष्टि 2, राज्य सूची):** चूंकि संविधान के तहत "पुलिस" और "सार्वजनिक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं, इसलिए केंद्रीय ई-शून्य एफआईआर पहल राज्य प्रवर्तन को केंद्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण सहयोगात्मक सेतु के रूप में कार्य करती है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 69A):** वह वैधानिक शक्ति प्रदान करता है जिसका उपयोग केंद्र सरकार द्वारा मध्यवर्तियों (intermediaries) को राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या राज्य की संप्रभुता को खतरा पैदा करने वाली वेबसाइटों और अनुप्रयोगों को ब्लॉक करने का निर्देश देने के लिए किया जाता है।

- **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023:** इलेक्ट्रॉनिक संचार को रिकॉर्ड करने की कानूनी प्रक्रिया को नियंत्रित करती है और डिजिटल बयानों की वैधानिक वैधता और आपराधिक शिकायतों के विकेंद्रीकृत पंजीकरण को रेखांकित करती है।

निष्कर्ष

भारत के साइबर अपराध शमन संरचना (cybercrime mitigation architecture) का तेजी से विस्तार सक्रिय, प्रौद्योगिकी-संचालित कानून प्रवर्तन की ओर एक प्रगतिशील बदलाव को दर्शाता है। यद्यपि ई-शून्य एफआईआर का स्वचालित सृजन और खातों को स्वचालित रूप से फ्रीज करना तत्काल वित्तीय संवेदनशीलता को कम करने में बड़े कदम हैं, फिर भी प्रणालीगत चुनौतियां बनी हुई हैं। शुरुआती शिकायतों से औपचारिक एफआईआर में कम रूपांतरण दर को संबोधित करने के लिए निरंतर क्षमता निर्माण, क्षेत्रीय साइबर-समन्वय केंद्रों को संस्थागत बनाने और अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट नेटवर्क को व्यवस्थित रूप से बाधित करने के लिए बैंकिंग मध्यवर्तियों से रीयल-टाइम अनुपालन हासिल करने की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **सामान्य अध्ययन II:** शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू: केंद्र-राज्य समन्वय के संस्थागत मॉडल; आंतरिक सुरक्षा नीति निर्माण।
- **सामान्य अध्ययन III:** संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियाँ; साइबर सुरक्षा में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका; साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें; मनी-लॉन्ड्रिंग और इसकी रोकथाम।

9. लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कैम्पा (CAMP) फंडिंग

मुख्य बिंदु और सारांश

- **प्रमुख वित्त पोषण स्वीकृति:** राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMP) के शासी निकाय ने पांच वर्षों में फैले ₹3,000 करोड़ के पर्याप्त प्रारंभिक कोष के साथ चार नई संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
- **लक्षित प्रजातियाँ:** स्वीकृत हस्तक्षेप रणनीतियाँ विशेष रूप से चार अत्यधिक संकटग्रस्त पारिस्थितिक संकेतकों (ecological indicators) के लिए आवासों को सुरक्षित करने और रिकवरी एक्शन प्लान तैयार करने पर केंद्रित हैं: नदी डॉल्फिन (river dolphins), हिम तेंदुए (snow leopards), जंगली पानी की भैंस (wild water buffaloes), और भारतीय गैंडे (Indian rhinoceros)।
- **संरचित अनुसंधान:** इस पहल के एक मुख्य घटक में प्रवासन गलियारों (migration corridors) का मानचित्रण करने, आवास क्षरण के कारकों का आकलन करने और मानव-वन्यजीव संघर्ष क्षेत्रों की पहचान करने के उद्देश्य से कड़े वैज्ञानिक अध्ययनों को शुरू करना शामिल है।
- **जनसंख्या गतिशीलता:** यह फंडिंग सीधे प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड (हिम तेंदुआ परियोजना) के चरण-II को प्रायोजित करेगी, जिसमें उच्च ऊँचाई वाले हिमालयी जैव-भौगोलिक क्षेत्रों में जनसंख्या अनुमान का एक गहन द्वितीयक चक्र शामिल है।

- **अखिल भारतीय समन्वय:** जंगली पानी की भैंस और भारतीय गैंडे जैसी स्थानीय प्रजातियों के लिए, कैम्पा ने विखंडित राज्य-स्तरीय संरक्षण प्रयासों को एक एकल केंद्रीय रोडमैप के तहत एकीकृत करने के लिए एक समकालिक, अखिल भारतीय संरक्षण दृष्टिकोण को अनिवार्य किया है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **राष्ट्रीय कैम्पा (National CAMPA):** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत काम करने वाला एक वैधानिक निकाय, जिसे गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करने वाली उपयोगकर्ता एजेंसियों से एकत्र किए गए प्रतिपूरक वनीकरण कोष के प्रबंधन का काम सौंपा गया है।
- **प्रजाति पुनर्प्राप्ति योजना (Species Recovery Plan):** गंभीर रूप से लुप्तप्राय या संवेदनशील वन्यजीव आबादी की गिरावट को रोकने और उनके आत्मनिर्भर आवासों को बहाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक लक्षित, डेटा-संचालित प्रबंधन कार्यक्रम।
- **कॉर्पस फंड (Corpus Fund):** पूंजी निवेश का एक स्थायी, समर्पित पूल जहां संचित धन को बहु-वर्षीय अवधि में सुरक्षित रखा जाता है ताकि दीर्घकालिक सार्वजनिक या पर्यावरणीय परियोजनाओं को स्थायी रूप से वित्तपोषित किया जा सके।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 48A (राज्य के नीति निर्देशक तत्व):** राज्य पर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का एक संवैधानिक दायित्व डालता है, जो विशेष रूप से देश भर में वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा को अनिवार्य बनाता है।
- **अनुच्छेद 51A(g) (मौलिक कर्तव्य):** सभी भारतीय नागरिकों को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है, जिसमें जीवित प्राणियों के प्रति दयाभाव को एक नागरिक जिम्मेदारी के रूप में रेखांकित किया गया है।
- **प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016:** प्राथमिक वैधानिक कानून जिसने राष्ट्रीय और राज्य कैम्पा संरचनाओं की स्थापना की, यह सुनिश्चित करते हुए कि वन डायवर्सन से प्राप्त धन का उपयोग कृत्रिम पुनर्जन्म और वन्यजीव संरक्षण के लिए पारदर्शी रूप से किया जाए।
- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** प्रजातियों के संरक्षण के लिए आधारभूत वर्गीकरण प्रदान करता है; लक्षित जानवरों (जैसे गंगीय नदी डॉल्फ़िन और भारतीय गैंडे) को अनुसूची I (Schedule I) के तहत सूचीबद्ध किया गया है, जो उन्हें उच्चतम स्तर की वैधानिक सुरक्षा और अवैध शिकार के खिलाफ दंडात्मक संरक्षण प्रदान करता है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा ₹3,000 करोड़ का निवेश भारत में प्रजाति-केंद्रित संरक्षण मॉडल की ओर एक प्रगतिशील बदलाव का प्रतीक है। नदी डॉल्फ़िन और हिम तेंदुए जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करके, यह परियोजना अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण नदीय और अल्पाइन पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा करती है। हालांकि, इन निधियों को संस्थागत बनाने के लिए केवल वित्तीय आवंटन से परे देखने की आवश्यकता है; दीर्घकालिक सफलता राज्य-स्तरीय प्रवर्तन अंतरालों को पाटने, स्वदेशी स्थानीय समुदायों को सक्रिय संरक्षण हितधारकों के रूप में एकीकृत करने और परियोजना निधियों को नौकरशाही बाधाओं में फंसने से बचाने के लिए मजबूत रीयल-टाइम निगरानी तंत्र बनाने पर निर्भर करती है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **सामान्य अध्ययन I:** भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान-महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं और वनस्पतियों और जीवों में परिवर्तन और ऐसे परिवर्तनों के प्रभाव।
- **सामान्य अध्ययन III:** संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण; पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA); वैधानिक निकाय (राष्ट्रीय कैम्पा); संकटग्रस्त जैव विविधता की रक्षा के लिए संस्थागत तंत्र।

10. वित्तीय समावेशन से वित्तीय स्वास्थ्य तक: भारत की अगली आर्थिक छलांग

मुख्य बिंदु और सारांश

- **प्रतिमान में बदलाव:** भारत बुनियादी वित्तीय समावेशन (बैंक खाते खोलना) से आगे बढ़कर व्यापक 'वित्तीय स्वास्थ्य' (Financial Health) बनाने की ओर बढ़ रहा है, ताकि नागरिक दैनिक खर्चों का प्रबंधन कर सकें, आर्थिक झटकों को झेल सकें और भविष्य के लक्ष्यों में निवेश कर सकें।
- **पहुंच का मील का पत्थर:** विश्व बैंक के ग्लोबल फिडेक्स के अनुसार, भारत में वयस्क बैंक खाता स्वामित्व पिछले एक दशक में 56% से बढ़कर 89% हो गया है, जो उन्नत वित्तीय उत्पादों के लिए एक मजबूत आधार बनाता है।
- **रणनीतिक रोडमैप:** वित्तीय स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष दूत ने चार प्राथमिकता वाले कार्यों पर प्रकाश डाला है: जन धन 2.0 का शुभारंभ, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का उपयोग, विशेष वित्तीय डेटासेट का संकलन और सार्वजनिक-निजी सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- **जन धन 2.0 ढांचा:** प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) का अगला चरण बुनियादी खातों को पेंशन (APY), बीमा (PMJJBY/PMSBY) और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के साथ एकीकृत करके लचीलापन प्रदान करने वाले समग्र प्लेटफॉर्म में बदलने का लक्ष्य रखता है।
- **DPI-आधारित सक्षमीकरण:** भारत का मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा—जैसे यूनिकाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI), अकाउंट एग्रीगेटर्स, महाविस्तार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस—का उपयोग अनुकूलित वित्तीय क्षमता, व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिंग और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है।
- **मैक्रोइकॉनॉमिक तालमेल:** व्यक्तिगत और घरेलू स्तर पर वित्तीय स्थिरता को ऊपर उठाना सीधे राष्ट्रीय लचीलेपन का समर्थन करता है और "विकसित भारत 2047" के उस दृष्टिकोण के साथ संरेखित होता है जो राज्य के कल्याण से आगे बढ़कर सक्रिय घरेलू धन सृजन की ओर ले जाता है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **वित्तीय स्वास्थ्य (Financial Health):** एक ऐसी स्थिति जहाँ किसी व्यक्ति के पास दैनिक खर्चों का प्रबंधन करने, अप्रत्याशित आर्थिक झटकों से उबरने और आत्मविश्वास के साथ दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक वित्तीय नीतियाँ, उत्पाद और सेवाएँ होती हैं।
- **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI):** साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म—जैसे [Aadhaar], UPI और अकाउंट एग्रीगेटर्स—जो सार्वजनिक और निजी सॉफ्टवेयर सेवाओं के सुरक्षित, जनसंख्या-स्तरीय वितरण को सक्षम करते हैं।

- **यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI):** विविध डेटा प्रदाताओं को वित्तीय ऋण संस्थानों से जोड़कर डिजिटल क्रेडिट के सुचारू और घर्षण-मुक्त प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 38 (राज्य के नीति निदेशक तत्व):** राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने और आय, स्थिति और अवसर में असमानताओं को कम करने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 39A (समान अवसर):** राज्य को यह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि आर्थिक प्रणाली का संचालन धन के संकेंद्रण का कारण न बने और नागरिकों को आर्थिक अस्तित्व के लिए अवसरों तक पहुंच प्राप्त हो।
- **PFRDA अधिनियम, 2013 और IRDAI अधिनियम, 1999:** पेंशन और बीमा उत्पादों को विनियमित करने के लिए वैधानिक आधार प्रदान करते हैं, जो जन धन 2.0 मॉडल के तहत सुरक्षा कवच का विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष

बैंकिंग पहुंच के अंतर को पाटने में भारत की सफलता ने वित्तीय स्वास्थ्य की ओर एक महत्वपूर्ण विकासवादी बदलाव की नींव रखी है। वास्तविक आर्थिक सशक्तिकरण केवल निष्क्रिय बैंक खातों पर टिका नहीं रह सकता; इसके लिए असंगठित कार्यबल, महिलाओं और गिग वर्कर्स को माइक्रो-पेंशन, जिम्मेदार क्रेडिट और बीमा सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। जन धन 2.0 को गहरा करके और ULI जैसे अत्याधुनिक DPI उपकरणों का अधिकतम लाभ उठाकर, भारत घरेलू कमजोरियों को कम कर सकता है, नागरिकों को शोषणकारी ऋणदाताओं से बचा सकता है और सार्वभौमिक वित्तीय पहुंच को स्थायी, राष्ट्रव्यापी धन सृजन में बदल सकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **सामान्य अध्ययन II:** विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां; शासन के महत्वपूर्ण पहलू: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं।
- **सामान्य अध्ययन III:** भारतीय अर्थव्यवस्था और नियोजन, संसाधनों का जुटाना, विकास और रोजगार; समावेशी विकास और उससे उत्पन्न मुद्दे; डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) अनुप्रयोग।

11. संस्थागत स्वायत्तता और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक

मुख्य बिंदु और सारांश

- **संस्थागत प्रतिरोध:** राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (INIs), जिनमें प्रमुख भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs), भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIMs) और विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (IISERs) शामिल हैं, ने केंद्र के 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक, 2025' के प्रावधानों का कड़ा विरोध किया है।
- **मुख्य मांग:** केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा समर्थित, इन अभिजात वर्ग के संस्थानों ने संयुक्त संसदीय समिति (JPC) से औपचारिक रूप से संपर्क करके अपने अनुसंधान, वित्तीय और पाठ्यचर्या संबंधी स्वायत्तता की रक्षा के लिए विधेयक से पूर्ण छूट की मांग की है।

- **संरचनात्मक समेकन:** VBSA विधेयक का उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) को नियंत्रित करने वाले मूलभूत वैधानिक अधिनियमों को निरस्त करके और उनके स्थान पर एक एकल केंद्रीकृत शीर्ष निकाय लाकर भारत के उच्च शिक्षा नियामक परिदृश्य को व्यवस्थित रूप से ओवरहाल करना है।
- **संघीय घर्षण:** JPC को दी गई प्रस्तुतियों से पता चलता है कि कई राज्य सरकारों ने भी गंभीर आपत्तियां उठाई हैं, और ऐसी केंद्रीकृत धाराओं को चिह्नित किया है जो क्षेत्रीय उच्च शिक्षा प्रणालियों पर राज्य-स्तरीय अधिकार को कमजोर करती हैं।
- **सरकार का बचाव:** केंद्र सरकार ने मसौदा कानून का यह कहते हुए बचाव किया है कि विधेयक में सुरक्षात्मक खंड हैं जो सैद्धांतिक रूप से शीर्ष-स्तरीय अनुसंधान संस्थानों और 'इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेन्स' (IoEs) की शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं।
- **कानूनी मिसाल की चिंताएं:** IIT बॉम्बे, IIT मद्रास और IISER कोलकाता जैसे संस्थानों ने बताया है कि नया कानून उन स्वतंत्र, व्यक्तिगत संसदीय कानूनों को दरकिनार करने की धमकी देता है जिनके तहत इन उत्कृष्टता केंद्रों की मूल रूप से स्थापना हुई थी।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (INIs):** अत्यधिक कुशल कर्मियों को विकसित करने और क्षेत्रीय अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत में चुनिंदा सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रदान की गई एक प्रमुख वैधानिक श्रेणी।
- **संस्थागत स्वायत्तता:** विश्वविद्यालयों को बाहरी राजनीतिक या नौकरशाही हस्तक्षेप के बिना स्व-शासन, आंतरिक वित्त का प्रबंधन, पाठ्यक्रम तैयार करने, छात्रों को प्रवेश देने और संकाय की भर्ती करने के लिए दी गई स्वतंत्रता की डिग्री।
- **शीर्ष नियामक निकाय (Apex Regulatory Body):** एक संपूर्ण क्षेत्र में शैक्षिक और प्रशासनिक मानकों को निर्धारित करने, निगरानी करने और लागू करने के लिए कार्य करने वाला एक केंद्रीकृत, एकल सरकारी प्राधिकरण।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **सातवीं अनुसूची (प्रविष्टि 66, संघ सूची):** संसद को "उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों के लिए समन्वय और मानकों के निर्धारण" पर विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान करती है।
- **सातवीं अनुसूची (प्रविष्टि 25, समवर्ती सूची):** "शिक्षा, जिसमें तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालय शामिल हैं" से संबंधित है, जो राज्यों को सह-विधान बनाने की अनुमति देती है।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020:** वह व्यापक नीति दस्तावेज जो उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अंब्रेला निकाय द्वारा 'हल्के-लेकिन-सख्त' (light-but-tight) विनियमन की ओर संक्रमण की सिफारिश करता है।

निष्कर्ष

VBSA विधेयक के खिलाफ बढ़ता विरोध संरचनात्मक नियामक मानकीकरण और संस्थागत उत्कृष्टता के बीच के नाजुक संतुलन को उजागर करता है। हालाँकि बिखरे हुए उच्च शिक्षा नियामकों को एक एकल शीर्ष निकाय में समेकित करना आधुनिक प्रशासनिक सुधारों के अनुरूप है, लेकिन यह उस परिचालन स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं होना चाहिए जिसने IIT और IIM जैसे भारत के प्रमुख वैश्विक ब्रांड बनाए हैं। एक प्रगतिशील अंतिम ढांचे को यह

सुनिश्चित करना चाहिए कि केंद्रीकृत निगरानी सख्ती से केवल मैक्रो-स्तरीय फंडिंग पारदर्शिता और नैतिक शासन तक सीमित हो, जबकि शैक्षणिक योजना, आंतरिक प्रशासन और अनुसंधान दिशाएं पूरी तरह से संस्थानों के हाथों में रहें।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **सामान्य अध्ययन II:** विकास के लिए सरकारी नीतियां; शिक्षा और मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित मुद्दे; वैधानिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय।

12. FCRA संशोधन विधेयक, 2026 पर नागरिक समाज की चिंताएं

मुख्य बिंदु और सारांश

- **संस्थागत प्रतिनिधित्व:** भारत में कैथोलिक चर्च की शीर्ष संस्था, 'कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया (CBCI)' ने नए प्रस्तावित 'विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' के खिलाफ महत्वपूर्ण शिकायतों को उजागर करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।
- **परिसंपत्ति अधिग्रहण पर मुख्य शिकायत:** संशोधन में एक विवादास्पद प्रावधान पेश किया गया है, जो दीवानी अदालत की शक्तियों के साथ एक राज्य-नियुक्त "नामित प्राधिकरण" को विदेशी धन से बनी संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने, प्रबंधित करने या निपटाने में सक्षम बनाता है, यदि किसी NGO का FCRA पंजीकरण निलंबित, रद्द या नवीनीकृत नहीं किया गया है।
- **मनमाना गतिविधि वर्गीकरण:** 22 जून को अधिसूचित नए नियमों के तहत NGOs को पांच व्यापक अनुमत श्रेणियों—सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक—से सटीक गतिविधियों को निर्दिष्ट करना अनिवार्य है, साथ ही सख्त भौगोलिक सीमाएं पेश की गई हैं और "धर्म परिवर्तन" (Proselytisation) पर स्पष्ट रूप से रोक लगा दी गई है।
- **पूर्वव्यापी आवेदन और अपील:** नागरिक समाज निकायों ने संपत्ति जब्ती खंडों के पूर्वव्यापी प्रवर्तन का कड़ा विरोध किया है, और मांग की है कि संपत्ति का कोई भी सरकारी अधिग्रहण केवल नियमित अदालतों में न्यायिक अपीलों के अंतिम निपटान के बाद ही होना चाहिए।
- **आनुपातिकता की मांग:** ज्ञापन में छोटी या तकनीकी लेखांकन त्रुटियों और बड़े वित्तीय धोखाधड़ी के बीच अंतर करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, और तर्क दिया गया है कि नगण्य लिपिकीय विसंगतियों के लिए पंजीकरण रद्द करने या संपत्ति जब्त करने जैसे कठोर दंड नहीं होने चाहिए।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **विदेशी अंशदान:** भारत के भीतर किसी व्यक्ति, संघ या पंजीकृत कंपनी को किसी विदेशी स्रोत द्वारा दी गई मुद्रा, सुरक्षा या वस्तु का कोई भी दान, वितरण या हस्तांतरण।
- **नामित प्राधिकरण (Designated Authority):** मसौदा विधेयक के तहत एक वैधानिक प्रशासनिक इकाई जिसे गैर-अनुपालन करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के स्वामित्व वाली संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने, स्थानांतरित करने या परिसमाप्त (liquidate) करने के लिए दीवानी अदालत का अधिकार दिया गया है।

- **धर्म परिवर्तन (Proselytisation):** किसी व्यक्ति को एक धर्म, विश्वास या राय से दूसरे में बदलने का प्रयास करने की कार्यवाही या प्रथा, जिसे नया संशोधन वास्तविक मानवीय या कल्याणकारी कार्यों से पूरी तरह अलग करना चाहता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 19(1)(c):** भारतीय नागरिकों को संघ या यूनियन बनाने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 25 और 26:** अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार, और धार्मिक संप्रदायों को अपने आंतरिक प्रशासनिक और संस्थागत मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार प्रदान करते हैं।
- **विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010:** विदेशी आतिथ्य या धन की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने के लिए बनाया गया प्राथमिक वैधानिक कानून।

निष्कर्ष

FCRA संशोधन विधेयक, 2026 पर राज्य और प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों के बीच बढ़ता घर्षण वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने और एक जीवंत नागरिक स्थान को संरक्षित करने के बीच एक चुनौतीपूर्ण संतुलन को उजागर करता है। हालाँकि अवैध विदेशी प्रभाव को रोकना और वित्तीय जवाबदेही सुरक्षित करना वैध राजकीय हित हैं, लेकिन न्यायिक समीक्षा से पहले संपत्ति अधिग्रहण जैसी व्यापक प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संस्थागत बनाने से वास्तविक सामाजिक कल्याण नेटवर्क पंगु हो सकते हैं। भविष्य के संशोधनों में 'आनुपातिकता' (proportionality) का स्पष्ट सिद्धांत पेश किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशासनिक कार्यवाहियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करें, न कि महत्वपूर्ण जमीनी विकास कार्यों को नष्ट करें।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **सामान्य अध्ययन II:** विकास प्रक्रियाएं और विकास उद्योग — NGOs, SHGs, विभिन्न समूहों, दाताओं और अन्य हितधारकों की भूमिका; शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही; मौलिक अधिकार और उन पर उचित प्रतिबंध।

Dream | Dare | Deliver

JULY 11, 2026

